


प्रविष्टि अपने आपमें असत्य एवं बनावटी जाहिर होती है, तथा प्रार्थी को नुकसान पहँचाने के आशय से की गयी है। प्रार्थी द्वारा कभी भी मिर्जापुर के जिला प्राधिकारियों अथवा न्यायिक अधिकारियों की मीटिंग में किसी प्रकार का न तो कभी कोई असहयोग किया गया, न ही बेरुखा व कठोर व्यवहार किया गया। बल्कि उक्त मीटिंगों में प्रार्थी अनुशासन के साथ तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय के विश्राम कक्ष में सहभागिता करता था, तथा अपने न्यायालय व विभाग से सम्बन्धित प्रश्नों का अनुशासन के साथ उत्तर देता था, और अपनी न्यायालय/कार्यालय से सम्बन्धित समस्याओं को समाधान हेतु बैठकों में रखता था। प्रार्थी द्वारा कभी भी तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। बल्कि प्रार्थी शालीनता से बैठकों में भाग लेता था, तथा जनपद न्यायाधीश के मौखिक/लिखित आदेशों का पालन करता था। यदि प्रार्थी जिला प्राधिकारियों की मीटिंग में अथवा न्यायिक अधिकारी की मीटिंग में अभद्र व्यवहार करता होता तो निश्चित रूप से उक्त तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा इस सन्दर्भ में प्रार्थी से लिखित स्पष्टीकरण आख्या मौगी जाती। किन्तु ऐसा उनके द्वारा कभी नहीं किया गया। इसी से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि काल्पनिक असत्य एवं निराधार है।

अतः श्रीमान् जी से अत्यन्त विनम्र निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिनांक 01–04–2021 से 31–03–2022 तक) तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार प्रथम द्वारा प्रार्थी को दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टियाँ मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से निरस्त कराने हेतु यह प्रत्यावेदन मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें, ताकि मा० उच्च न्यायालय प्रार्थी के आत्म मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर प्रार्थी को समुचित प्रविष्टि प्रदान कर सके। प्रार्थी श्रीमान् जी का सदैव आभारी रहेगा।

सादर,

दिनांक: 06–06–2022

संलग्नक-
उपरोक्तानुसार एनेक्वर संलग्न है।

भवदीय,

06.06.2022
(अच्छे लाल सरोज)
जे.ओ.कोड नं०-6134
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, मिर्जापुर।

